FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/2/25 को पेश हो।	
24/02/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/04/25 को पेश हो।	
15/04/25	वकुलाय उप0। पूर्व में पेश प्रा0 पत्र O.1 R.10 CPC पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दि. 25/4/25 को पेश हो।	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्षकारान उप0। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।	
	GCMS-2020/00007	
02/05/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी दिनांकित 19.03.2020 पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रा0 पत्र आ0 1 नि0 10 सीपीसी एवं जवाब प्रा0 पत्र आ0 1 नि0 10 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी से संबंधित है एवं प्रा0 पत्र आ0 1 नि0 10 के प्रार्थीगण मूल प्रा0 पत्र पत्थरगढ़ी के प्रार्थीगण के पड़ोसी खातेदारान हैं जिनसे प्रार्थीगण (प्रा0 पत्र पत्थरगढ़ी) उक्त प्रार्थना पत्र में किसी तरह का अनुतोष नही चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	नियम 10 एवं धारा 151 सीपीस दिनांकित 19.03.2020 खारिज किया जाता हैं। प्रार्थी हजारी लाल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी नं. 1 का नाम हजफ करने हेतु पूर्व में पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रार्थी राधेश्याम पुत्र झाबरमल जाति गुर्जर निवासी बोपिया तहसील पाटन ने जरिये अधिवक्ता श्री रामनिवास यादव प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रा0 पत्र आ0 1 नि0 10 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी को सुना गया जिससे प्रा0 पत्र आ0 1 नि0 10 सीपीसी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाने पर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 05.05.2025 को पेश हो।
05/05/25	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रकरण में एकपक्षीय बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 29.01.2020 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 29.01.2020 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 29.01.2020 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :– **आदेश** तहसीलदार पाटन तन ग्राम बोपिया पटवार हल्का छाजाकीनांगल तहसील पाटन अवस्थित ख.नं. 911 रकबा [illegible] है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 29.01.2020 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार

[illegible]वीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not V
Digitally signed by F
Yadav
Date: 2025.05.26 1
Reason: SelfAtteste

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.05.26 12:03:52 IST Reason: SelfAttested	